**बिहार सरकार**

**उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)**

# अधिसूचना

उद्योग विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1849 दिनांक 07.09.2016 द्वारा बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2016 लागू की गई है जिसके अधीन राज्य सरकार 500 करोड़ रु0 का आरंभिक निकाय (कारपस) सृजित करेगी। इस नीति के कार्यान्वयन हेतु भारत ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अधीन बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट का गठन किया गया है।

2. बिहार स्टार्ट–अप नीति–2016 के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों की प्राथमिक समीक्षा के लिए प्रारम्भिक समीक्षा समिति (Preliminary Scrutiny Committee) का गठन निम्न रूप से किया जाता है :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना | – | अध्यक्ष |
| (ii) | निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना | – | सदस्य सचिव |
| (iii) | उद्योग निदेशक, बिहार, पटना | – | सदस्य |
| (iv) | निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना | – | सदस्य |
| (v) | आई0आई0टी0, पटना में स्टार्ट–अप के विशेषज्ञ | – | सदस्य |
| (vi) | सी0आई0एम0पी0 में स्टार्ट–अप के विशेषज्ञ | – | सदस्य |
| (vii) | इनक्यूबेटर से संबंधित एसोसिएशन्स के एक–एक प्रतिनिधि | – | कुल तीन सदस्य |

उक्त समिति प्राप्त प्रस्ताव/आईडिया में स्टार्ट अप की संभावना की प्राथमिक जाँच करेगी तथा प्रारंभिक जाँच के आधार पर कमिटी अनुशंसा करेगी कि आवेदक को किस इनक्युबेटर के साथ संबद्ध किया जाना है एवं कमिटी द्वारा अनुशंसित अंतिम सूची बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट की बैठक में रखेगी एवं उस पर ट्रस्ट का अनुमोदन प्राप्त करेगी।

3. प्रस्ताव पर विकास आयुक्त, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

25/1/2017

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 86 /पटना, दिनांक– 25/01/17

सं0सं0– 4तक0/स्टार्ट अप कार्यान्वयन/137/2016

प्रतिलिपिः– उप सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय।

25/1/2017

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

Ar. K.-01

Scanned by CamScanner